

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2196
दिनांक 20 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: जीएम तिलहन

2196. श्री पी.सी मोहन:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क): क्या सरकार या सरकार द्वारा संचालित संस्थानों ने वाणिज्यिक उपयोग हेतु कोई आनुवंशिक रूप से संशोधित तिलहन विकसित किया है;
- (ख): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग): इन तिलहनों को वाणिज्यिक उपयोग हेतु जारी करने में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): सेंटर फॉर जेनेटिक मैनीपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, दिल्ली विश्वविद्यालय ने आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों संकर धारा सरसों संकर-11 (डीएमएच-11) विकसित किया है जिसमें बार, बार्नेज और बारस्टार जीन शामिल हैं। संकर के उत्पादन के लिए संकरण के दौरान परागण नियंत्रण (मेल स्ट्राइल) के लिए इन जीनों का उपयोग किया जाता है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने 18 अक्टूबर, 2022 को आयोजित अपनी 147वीं बैठक में आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों संकर डीएमएच-11 और पर्यावरणीय रिलीज के लिए इसकी पैरेंटल लाइन्स को अनुशंसित किया है तथा इन इवेंट्स का उपयोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की देखरेख में नई पैरेंटल लाइन्स और संकर विकसित करने के लिए किया जा सकता है।
